संख्या- 28/750/बयालिस-2015-50(बजट)/2014

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 30 मार्च, 2015**

विषय- म्योहाल स्पोर्टस काम्पलेक्स, (सम्प्रति अमिताभ बच्चन स्पोर्टस काम्पलेक्स) इलाहाबाद में बैडमिन्टन हाल के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- जी- 1091/नि0 इलाहाबाद स्टे0/2014-15, दिनांक 21 जनवरी, 2015 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष-2014-15 में म्योहाल स्पोर्टस काम्पलेकस, (सम्प्रति अमिताभ बच्चन स्पोर्टस काम्पलेक्स) इलाहाबाद में बैडमिन्टन हाल के निर्माण के सम्बन्ध में प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित लागत रू0 1220.97 लाख (रू0 बारह करोड़ बीस लाख सत्तान्बे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 03.00 करोड (रू0 तीन करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है:-

(1)- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि रू0 03.00 करोड़ (रू0 तीन करोड़ मात्र) कोषागार से आहरित करके सम्बन्धित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2)- कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता तथा मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का उत्तर दायित्व निदेशक, खेल एवं कार्यदायी संस्था का होगा।

(3)- स्वीकृत धनराशि का आहरण व्यय की आवश्यकता के अनुरूप किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(4)- प्रायोजना की लागत में टाइम ओवर रन कास्ट ओवर रन न हो अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212(Vii) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5)- प्रायोजना अन्तर्गत निर्माण कार्य समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाये।

(6)- प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृत प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा। प्रश्नगत कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो इसे निदेशक, खेल एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(7)- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व मानचित्रों को आवश्कता अनुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाये।

(8)- प्रायोजनान्तर्गत स्पोर्टस टैंसाइल, मेम्बरेन, विनायल फ्लोरिंग, योनेक्स होवा स्पोर्टस मैट, कारपेट फ्लोरिंग इन्यूलेटेड रूफिंग सिस्टम, वुडेन फ्लोरिंग, फाल्स सीलिंग आदि को सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर सम्मिलित किया गया है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(9)- स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(10)- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार समस्त वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(11)- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड- 6 के अध्याय- 12 के प्रस्तर- 318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(12)- प्रायोजनान्तर्गत लागत का आंकलन प्रस्तावित मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(13)- लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(14)- परियोजना अन्तर्गत नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय किलयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।

(15)- परियोजना में सम्मिलित प्रोप्राइट्री श्रेणी के कार्यों के क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(16)- निर्माण कार्य पूर्ण करने से पूर्व मानचित्रों को स्थायी विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

2- उक्त मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2014-15 के अनुदान संख्या- 22 के " लेखाशीर्षक- 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-03-म्योहाल इलाहाबाद स्थित स्पोर्टस काम्पलेक्स का जीर्णोद्धार एवं बैडमिन्टन हाल का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य " के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्रांक संख्या- ई-5- 475/दस-2015, दिनांक 29 मार्च, 2015 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

<u>संख्या- 750(1)/बयालिस-2014-तद्दिनांक :-</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-</u>

(1)- महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2)- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3)- कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
(4)- जिलाधिकारी, इलाहाबाद।
(5)- क्षेत्रीय क्रीडाधिकारी, इलाहाबाद।
(6)- परियोजना प्रबन्धक निर्माण इकाई, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, इलाहाबाद।
(7)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
(8)- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
(9)- नियोजन अनुभाग- 4
(10)- गार्ड फाईल/कम्पयूटर प्रति।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in